प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद, नौवीं मंजिल, "डी" ब्लॉक
O/o Pr. Chief Commissioner of Income Tax, 9th Floor, "D" Block
आयकर शिखर, ए.सी. गार्डस्, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
IT Towers, AC Guards, Hyderabad, Andhra Pradesh

फा.सं. प्रमुआआ/हैद/राभा/7/भाषा प्रशि./2021-22 दिनांक : 02-12.2021.

सेवा में,
सभी कार्यालय प्रमुख, हैदराबाद प्रभार ।

महोदया/ महोदय,

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत पाठ्यक्रम की नियमित कक्षाओं का ऑनलाइन आयोजन, जनवरी-मई, 2022 सत्र हेतु प्रशिक्षार्थियों का नामांकन ।

****

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हिन्दी प्रशिक्षण उपसंस्थान, सी.जी.ओ. टॉवर, कवाड़ीगुडा, सिकंदराबाद से भाषा प्रशिक्षण की नियमित कक्षाओं के आयोजन संबंधी पत्र आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई सादर प्रस्तुत है ।

अत: आपके कार्यालयों में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची इस कार्यालय को दिनांक 15.12.2021 तक उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ताकि समय रहते पारंगत पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु नामित करवाया जा सके ।

सादर सूचनार्थ ।

भवदीय,
सु. विभूते 02/12/21
(सुनील कुमार विभूते)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्या. प्रमुआआ, हैदराबाद

संलग्न: उपर्युक्त

प्रतिलिपि :-

1. उप निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण उपसंस्थान, कमरा सं 403, चौथा तल, 6-6-8/32, सी.जी.ओ. टॉवर, कवाड़ीगुडा, सिकंदराबाद-80
2. कार्यालय प्रति ।

दूरभाष संख्या : 040-27537211
040-27532299
फैक्स नं : 040-27538866

भारत सरकार
Government of India
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs
हिंदी शिक्षण योजना / Hindi Teaching Scheme

कमरा नं.403, सी.जी.ओ.टॉवर्स/Room No. 403 CGO Towers,
कवाडीगुड़ा, सिकंदराबाद/ Kavadiguda, Secunderabad-500080

सं.हिंशियो/06/2021/1462

दिनांक/Date: 29-11-2021

सेवा में/To

कार्यालय प्रधान/संपर्क अधिकारी (राजभाषा),
Head of the Office/Liaison Officer (Official Language)
भारत सरकार के समस्त कार्यालय/उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक/स्वायत्तशासी संगठन/सांविधिक निकाय
All Central Govt. Offices/Undertakings/Nationalized Banks/Autonomous Organizations/Statutory Bodies,
हैदराबाद/सिकंदराबाद Hyderabad/Secunderabad.

विषय : हिंदी शिक्षण योजना की **प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, बैंकिंग प्राज्ञ तथा पारंगत** पाठ्यक्रम की नियमित कक्षाओं का ऑनलाइन आयोजन, जनवरी - मई, 2022 सत्र हेतु प्रशिक्षार्थियों का नामांकन।

Sub : Organization of Hindi **Prabodh, Praveen, Pragya, Banking Pragya & Parangat** Online Classes of Hindi Teaching Scheme, Nominations of Trainees for January – May, 2022 - session.

महोदय/महोदया Sir/Madam

1. जनवरी - मई, 2022 सत्र की उपरोक्त ऑनलाइन हिंदी कक्षाएं 03 जनवरी 2022 से आरंभ होंगी। जिन कार्यालयों में सुरक्षा या अन्य किन्हीं कारणों से इंटरनेट का प्रयोग वर्जित है, वहां कार्यालय और प्रशिक्षार्थियों की सहमति से कार्यालय समय से पूर्व या पश्चात निर्धारित समय पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस हेतु कृपया सक्षम अधिकारी प्रशिक्षार्थियों से सहमति लेकर इस संबंध में लिखित अनुरोध भेजने का कष्ट करें।
The above mentioned Hindi Classes of January – May, 2022 session will commence from 03-01-2022. Such of those Offices, where access to internet is restricted, due to the security or other reasons, online training can be imparted before or after office hours, subject to submission of a written request from the competent authority, with the consent of the trainees concerned.

2. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर कार्यालय ज्ञापन सं. 12012/03/2015 के अनुसार हिंदी शिक्षण योजना द्वारा पारंगत पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम हेतु हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को नामित किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए कार्मिकों को दक्ष बनाना है।

As per the recommendations of the Parliamentary Official Language Committee O.M. No. 12012/03/2015 Hindi Teaching Scheme Secunderabad is conducting classes for **"Parangat"** Course too. All such employees who possess working knowledge of Hindi can be nominated for this course. The purpose of this course is to make the employees efficient in Hindi to discharge their official work in Hindi.

3. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी एवं हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है। (रिपोर्ट का अध्याय 2.2.9)

As per the recommendations of Sixth Pay Commission, the Training of Official Language Hindi and Hindi Typing is necessary for the personnel who are upgraded in Group 'C' from Group 'D'. (Chapter No. 2.2.9 of the report)

4. नामांकन के समय ही अधिकारियों/कर्मचारियों को कृपया लिखित में यह सूचित कर दिया जाए कि प्रशिक्षण अवधि में नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना और प्रशिक्षण पूरा होने पर परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।

At the time of nomination, concerned Officers/Employees may please be informed in writing that during the period of training their attendance in the classes and appearing in the examination at the end of the training is compulsory.

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने नवंबर, 2021 में प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा दी है, उनके परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें अगले पाठ्यक्रम के लिए नामित किया जा सकता है।

Officers/Employees who have appeared for Prabodh, Praveen and Pragya examination in November, 2021 may be nominated for the next course without waiting for the result.

6. सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के लिए, उनके अनुरोध पर अलग से कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का भुगतान करके हिंदी शिक्षण योजना के हिंदी प्राध्यापकों/सहायक निदेशकों (भाषा) की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

Separate Hindi Classes exclusively for the Govt. Undertakings, Nationalized Banks etc. may be conducted on request and payment basis. To avail the services of the Hindi Pradhyapaks/Assistant Directors (Language) of Hindi Teaching Scheme, concerned organizations have to make payment as per rule prescribed by D.O.L. MHA.

7. प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी:

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए ये प्रशिक्षण अनिवार्य हैं ।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है । इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेज़ी, मणिपुरी, मिज़ो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 माह, एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा, कक्षाएं 03 जनवरी, 2022 से शुरू होंगी । परीक्षा मई, 2022 में आयोजित की जाएगी ।	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.21034/ 66/2011/2010-राभा (प्रशि.) दिनांक 29.07.2011 के अनुसार उत्तीर्ण एवं पात्र अधिकारी/ कर्मचारी नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे । मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक का हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	-वही-	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं ।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 माह, एकांतर दिवस 1.30 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा, कक्षाएं 3 जनवरी, 2022 से शुरू होंगी। परीक्षा मई, 2022 में आयोजित की जाएगी ।	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागो तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं ।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 माह, एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा, कक्षाएं 3 जनवरी, 2022 से शुरू होंगी। परीक्षा मई, 2022 में आयोजित की जाएगी ।	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.21034/ 69/2008/राभा (प्रशि.) दिनांक 21.12.2020 के अनुसार उत्तीर्ण एवं पात्र अधिकारी/ कर्मचारी नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/ विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

8. उपर्युक्त प्रशिक्षण के संबंध में इस कार्यालय के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक दिसंबर, 2021 के दौरान आपसे निरंतर संपर्क में रहेंगे। प्रशिक्षण के सफल संचालन में आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को अधिकाधिक संख्या में नामित करें और कर्मचारियों की सूची (दो प्रतियों में) निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक 24-12-2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में अगली कार्रवाई हेतु भिजवाने का कष्ट करें। पत्र सं.12/6/2016-हिशियो(मु)1309, दिनांक 17-04-2017 के अनुपालन में निम्नानुसार सूचना अपेक्षित है :-

During the month of December, 2021 Hindi Pradhyapaks/Assistant Directors (Language) of this office will be in regular contact with you to ensure nominations for the above courses. Hence, it is requested to extend your full co-operation to them and recommend maximum nominations of untrained employees for the said courses in the following Proforma on or before 24-12-2021. In compliance with Letter no.12/6/2016-हिशियो (मु) 1309 Dated 17-04-2017, the following information is required.

1. नाम	:	Name	:
2. पदनाम	:	Designation	:
3. कार्यालय का नाम	:	Office Name	:
4. दूरभाष सं.	:	Phone no.	:
5. फ़ैक्स नं.	:	Fax no.	:
6. ई मेल आई डी	:	E-mail ID	:
7. मातृभाषा	:	Mother Tongue	:
8. पाठ्यक्रम का नाम	:	Courses for which nominated:	
9.हिंदी का ज्ञान	:	Knowledge of Hindi	:

9. परीक्षा/Examination:

परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रशिक्षार्थी से, संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के समय भरवाया जाता है।

The application form for the examination is filled by the trainee at the time of taking admission in the concerned course.

10. परीक्षा शुल्क/Examination Fee :

ये सभी पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयों को, हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम से ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

All courses are free of charge to Government Officials, but exam. fee Rs.100/- per trainee is payable in favour of the Deputy Director (Exam), Hindi Teaching Scheme, New Delhi for Prabodh, Praveen and Pragya examination, for officials of Nationalized Banks and Public Sector Undertakings etc. from their offices.

नोट : पारंगत पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए फिलहाल कोई परीक्षा शुल्क नहीं है ।

Note: No examination fee for the course of Parangat yet.

11. पूरक परीक्षा:

- नवंबर, 2021 में हुई हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी को पूरक परीक्षा, मई, 2022 के लिए नया आवेदन भरना होगा तथा अपने आवेदन-पत्र पर पुराना अनुक्रमांक (नवंबर, 2021 में हुई परीक्षा का) देना होगा । अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में पूरक घोषित किया गया था । यह तभी लागू है जब प्रशिक्षार्थी तुरंत अगले सत्र में परीक्षा देता है । यदि इसमें एक सत्र का अंतर आ गया तो उसे पूरक नहीं माना जाएगा ।
- The Trainee who has passed in one of the papers of Hindi Prabodh, Praveen, Pragya and Parangat Examinations held in November, 2021, will have to fill new application form, which includes the Roll No. of previous session for the supplementary examination for May, 2022. Along with this, Trainee must give declaration in which paper he/she would appear. This applies only when the trainee writes the exam in the very next session. If there is a gap of one session then it will not be considered as Supplementary exam, such trainee will have to write the exam afresh.

- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में रु.10/- का बैंक ड्राफ्ट देना होगा ।
- Trainees belonging to PSU's/Corporations/Nationalized Banks/Autonomous bodies, who will appear for Supplementary exam has to submit the Bank Demand-Draft of Rs. 10/-

12. पाठ्य पुस्तकें

सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

Text Books

Text books are provided free of cost to all the trainees by Hindi Teaching Scheme.

13. प्रोत्साहन :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर 12 महीनों के लिए एक अग्रिम वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके साथ-साथ निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित परीक्षाओं (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत) में निर्धारित अंक प्राप्त करने पर प्रशिक्षार्थी नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। पुरस्कार राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

Incentives: As per the prescribed conditions preset by Department of O.L, Ministry of Home Affairs, Government of India, when Central Government officers/employees pass the prescribed Final Examination, a personal pay equal to the amount of one increment for a period of 12 months is granted to them. Along with the above mentioned personal pay, the following cash awards are also granted to eligible candidates for securing prescribed marks in examinations (Prabodh /Praveen /Pragya/ Parangat). These amounts of reward will be paid by their respective Department.

क्र. सं	प्राप्तांक प्रतिशत	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	पारंगत
1.	55% या उससे अधिक	400	600	800	4000
2.	60% या उससे अधिक	800	1200	1600	7000
3.	70% या उससे अधिक	1600	1800	2400	10000

14. कक्षाओं में उपस्थिति:

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन सं-12014/1/74-/हिंदी/1 तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन सं-12014/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है ।

- According to the Government of India, DOL, MHA O.M. No.12014/1/74/हिंदी/1 and O.M. No.12012/1/74- रा.भा.(घ) dated 11 March, 1985, it is mandatory for the nominated Officers/Employees to attend the Online Hindi Classes regularly and sit for the examination at the end of the session.
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन, वाचन तथा गृह कार्य के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक संबंधित केंद्र के हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (भाषा) द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।
- On the basis of the class attendance, writing, reading and homework, internal assessment marks are given by the concerned Hindi Pradhyapaks/Assistant Directors (Language). Only those trainees who secure pass marks in the internal assessment are declared Pass.

15. विशेष/Note

- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि वे अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित करें। नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, परीक्षा में सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो और निर्धारित समय में प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- It is the responsibility of the Administrative Head of the concerned office to ensure that maximum number of officers/Employees are nominated for the training, nominated personnel attend the classes and appear in the examination so that the available government resources are optimally utilized and target of training is achieved within the prescribed time frame.
- प्रशिक्षण के लिए यदि किसी कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य प्रशिक्षण केंद्र पर जाते हैं तो नियमानुसार यात्रा भत्ता आदि जो भी देय होगा, उसे प्रशिक्षार्थी के कार्यालय द्वारा ही वहन किया जाएगा।
- If the personnel attend the training at any other training center, as per rules, travel allowance etc. is to be borne by the concerned office.

भवदीया//Yours faithfully,

29/11/2021

(डॉ.नरेश बाला/Dr. Naresh Bala)

उप निदेशक /Deputy Director

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. निदेशक, कें.हिं.प्र.सं.नई दिल्ली/ Director, C.H.T.I., New Delhi.
2. उप निदेशक (दक्षिण), हिं.शि.यो. चेन्नै/Deputy Director (South), H.T.S., Chennai-90
3. सभी हिंदी प्राध्यापक, हिं.शि.यो. सिकंदराबाद/ All the Hindi Pradhyapak, H.T.S.,Secunderabad
4. संबंधित सहायक निदेशक (भाषा), कें.हिं.प्र.उ.सं.,सिकंदराबाद/Concerned Asst.Director, CHTSI, Secunderabad.